

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/106/ छिन्दवाड़ा/उपां/नगानि/2022

भोपाल,दिनांक:- /07/2022

1 कलेक्टर,
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।

2 उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।

4 आयुक्त,
नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)।

विषय:- छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2011 में उपांतरण बाबत। (ग्राम लोनियाकरबल तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा का खसरा क्रमांक 153 रकबा 0.8940 हेक्टेयर - लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग)

संदर्भ:- अपर सचिव, म.प्र. शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 2509 दिनांक 10.06.2022.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2011 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- 27/07/2022

3123

पृ. क्रमांक /टीसी/106/ छिन्दवाड़ा/उपां/नगानि/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक-27/07/2022

क्रमांक 3120 /टीसी/106/ छिन्दवाड़ा/उपा/नगानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	लोनियाकरबल तह. छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	153	0.8940	0.8940	यातायात (बस डिपो), वाणिज्यिक एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग

नोट :-

- प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 36.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

शर्त :-

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियाँ हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी
- उक्त मिश्रित गतिविधियाँ हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल